(31)

संख्याः-2978/XVIII(II)/2011

प्रेषक,

कुँवर राजकुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांकः 25 नवम्बर, 2011

विषयः-मै0 उत्तम शुगर मिल्स प्रा0 लि0 को जनपद हरिद्वार के ग्राम अहमदपुर में फ्रूट फार्म एण्ड बेसिस इण्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु कुल 6.3910 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिकृत हस्ताक्षरी, मै0 उत्तम शुगर मिल्स प्रा0 लि0, हरिद्वार के प्रार्थना पत्र दिनांक-27.11.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, पूर्व शासनादेश संख्या-193 भू क्रय/18(1)/2006, दिनांक-26.6.2008 को अधिक्रमित करते हुए मै0 उत्तम शुगर मिल्स प्रा0 लि0 को जनपद हरिद्वार के ग्राम अहमदपुर में फ्रूट फार्म एण्ड बेसिस इण्डस्ट्रीज की स्थापना हेतु कुल 6.3910 है0 भूमि क्रय की अनुमति, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(v) के अन्तर्गत एवं आपके द्वारा संस्तुत गाटा संख्या-116, 117,119,121,122,124,125 एवं 126 के अधीन निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (फ्रूट फार्म एण्ड बेसिस इण्डस्ट्रीज की स्थापना) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त

......................2

अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होगा।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

7– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्रोधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगीी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।

8– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एंव सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाये।

9– सम्बन्धित इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तखण्ड मूल के बेरोजगारो को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

10– क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग भू–उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्वान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु फैक्ट्री भवन निर्माण का प्लान सीडा/सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

11– प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के संबंध में स्पॉट जोनिग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्तों/नीतियों का पूर्णतया पालन किया जोयगा।

12– यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा की क्रय हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त वर्जनाओं/भार से विमुक्त है तथा संबंधित भूमि के क्रय विक्रय से किसी भूमि संबंधित कानून/विनियमो का उल्लंघन नहीं होता है।

13– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

14– ईकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य करने से पूर्व एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन आदि विभागो से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त की जानी होगी।

15– प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यो का दायित्व सम्बन्धित ईकाई का होगा। प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के संबंध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। प्रश्नगत अनापत्ति/सहमति

.....3

पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं के लिए आधार के रूप में उद्धत नहीं की जा सकती है।

16– प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) 2005 के अन्तर्गत GIDCR 2005 में उल्लिखित शर्तो के अधीन होगा। डेवलपर्स द्वारा GIDCR की शर्तो का पूर्णतयः पालन किया जायेगा तथा इसके कियान्वयन का अनुश्रवण उद्योग विभाग द्वारा किया जायेगा।

17– क्रय की जाने वाली भूमि पर प्रस्तावित उद्योग की स्थापना में भारत सरकार में घोषित विशेष पैकेज का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

18– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक एवं अन्य औपचारिकताएं प्राप्त कर ली जायेगी।

19– जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करा लिया जायेगा कि वर्तमान में प्रस्तावित भूमि हर प्रकार से पूर्व में अनुचित तरीके से क्रय की गयी भूमि से पृथक हो ताकि वर्तमान अनुमति के आड़ में पूर्व में अनियमित रूप से क्रय की गयी भूमि से नियमितिकरण का प्रयास सम्बन्धित ईकाई द्वारा न किया जा सके।

20– उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन हाने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तत्क्रम में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुँवर राजकुमार)
सचिव।

पृ0प0सं0–2978 /संमदिनांकित/2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
2– सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– निदेशक, उद्योग इण्डस्ट्रीयल स्टेट पटेलनगर देहरादून।
7– मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीडा 2 न्यू कैन्ट रोड सिडकुल देहरादून।
8– अधिकृत हस्ताक्षरी उत्तम शुगर मिल्स प्रा0 लि0 ग्राम लिब्बर हेड़ी तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।
9– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
10– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।